

थाना बिलासपुर:-40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 13.09.2023 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा दो अभियुक्तगण 1. सोनू पुत्र जबर सिंह नि0 ग्राम जिवाई कदीम थाना पटवाई जिला रामपुर 2.मनोज पुत्र रामचन्द नि0 जीवाई कदीम थाना पटवाई जिला रामपुर को बिलासपुर रूद्रपुर हाईवे से टैमरा ग्राम की तरफ जाने वाले मार्ग पर पुरानी शराब की दुकान खण्डर से ग्राम टैमरा की तरफ से एक-एक प्लास्टिक जरीकेन जिसमें 20-20 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-302/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 बनाम सोनू उपरोक्त व मु0अ0सं0-303/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 बनाम मनोज उपरोक्त पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.सोनू पुत्र जबर सिंह नि0 ग्राम जिवाई कदीम थाना पटवाई जिला रामपुर।

2.मनोज पुत्र रामचन्द नि0 जीवाई कदीम थाना पटवाई जिला रामपुर।

बरामदगी-

अभियुक्त सोनू के कब्जे से एक प्लास्टिक जरीकेन में 20 लीटर शराबखाम बरामद।

अभियुक्त मनोज के कब्जे से एक प्लास्टिक जरीकेन में 20 लीटर शराबखाम बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 आनन्दवीर सिंह थाना बिलासपुर जनपद रामपुर

हे0का0 280 विपिन कुमार थाना बिलासपुर जनपद रामपुर

का0 1847 अमित थाना बिलासपुर जनपद रामपुर

का0 787 सोहित कुमार थाना बिलासपुर जनपद रामपुर

म0का0 1997 अलका थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

थाना बिलासपुर:-40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 13.09.2023 को थाना बिलासपुर पुलिस द्वारा दो अभियुक्तगण 1.निर्मल सिंह उर्फ निक्कू पुत्र निछत्तर सिंह नि0पंजावी कालोनी थाना बिलासपुर रामपुर उम्र 35 वर्ष 2.हरप्रीत सिंह पुत्र निर्मल सिंह नि0 देवीपुरा थाना बिलासपुर रामपुर उम्र 28 वर्ष को माटखेडा रोड पर बाईपास ओवर ब्रिज के नीचे से दो प्लास्टिक जरीकेन जिसमें 20-20 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-300/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 बनाम निर्मल सिंह उर्फ निक्कू उपरोक्त व मु0अ0सं0-301/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 बनाम हरप्रीत सिंह उपरोक्त पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम:-

1.निर्मल सिंह उर्फ निक्कू पुत्र निछत्तर सिंह नि0पंजावी कालोनी थाना बिलासपुर रामपुर उम्र 35 वर्ष।

2.हरप्रीत सिंह पुत्र निर्मल सिंह नि0 देवीपुरा थाना बिलासपुर रामपुर उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी-

1. अभियुक्त निर्मल सिंह उर्फ निक्कू एक प्लास्टिक जरीकेन में 20 लीटर शराबखाम बरामद।
2. अभियुक्त हरप्रीत एक प्लास्टिक जरीकेन में 20 लीटर शराबखाम बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार थाना बिलासपुर जनपद रामपुर

का0 1836 विपुल चौधरी थाना बिलासपुर जनपद रामपुर

का0 512 दीपाशु थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

थाना सैफनी:- हिस्ट्रीशीटर/टॉप-10 अभियुक्त 20 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ गिरफ्तार-

दिनांक 12-09-2023 को थाना सैफनी, रामपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर/टॉप-10 अभियुक्त मुशर्रफ पुत्र कल्लू नि0 ग्राम खरसौल थाना सैफनी जनपद रामपुर को एक जरीकेन में 20 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ खरसौल अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर/टॉप-10 अभियुक्त का नाम व पता-

मुशर्रफ पुत्र कल्लू नि0 ग्राम खरसौल थाना सैफनी जनपद रामपुर। (एचएस नं0-242/ए)

बरामदगी-

20 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद।

आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 397/2004 धारा 382/411 भादवि0 थाना शाहबाद
- 2- मु0अ0सं0 455/2007 धारा 307 भादवि0 थाना शाहबाद
- 3- मु0अ0सं0 444/2004 धारा 459/411 भादवि0 थाना शाहबाद
- 4- मु0अ0सं0 007/2005 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट थाना शाहबाद
- 5- मु0अ0सं0 611/2005 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना शाहबाद
- 6- मु0अ0सं0 210/2007 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना शाहबाद
- 7- मु0अ0सं0 22/2015 धारा 13 जी अधि0 थाना शाहबाद
- 8- मु0अ0सं0 045/2015 धारा 379 भादवि0 थाना शाहबाद
- 9- मु0अ0सं0 263/2018 धारा 392/411 भादवि0 थाना शाहबाद
- 10- मु0अ0सं0 427/2018 धारा 302/201 भादवि0 थाना शाहबाद
- 11- मु0अ0सं0 109/2023 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना सैफनी।

कार्यवाही-

मु0अ0सं0-109/2023 धारा 60(1) आबकारी अधि0।

थाना शाहबाद:- बांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 13.09.2023 को थाना शाहबाद, रामपुर पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-67/2023 धारा 323/504/506/427/333/325 भादवि में बांछित अभियुक्त गिरीराज पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम शाहपुर देव थाना शाहबाद जनपद रामपुर उम्र 40 वर्ष को रामपुर चौराहा कस्बा शाहबाद से गिरफ्तार का कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गिरीराज पुत्र बाबूराम उम्र 40 वर्ष निवास ग्राम शाहपुर देव थाना शाहबाद जनपद रामपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह,
2. का0 484 अवनीश कुमार।

थाना बिलासपुर:- एक अद् नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 13.09.2023 को थाना बिलासपुर पुलिस द्वारा विनोद पुत्र शंकरलाल नि0 कुआंखेडा थाना बिलासपुर जनपद रामपुर 20 वर्ष को एक अद् नाजायज चाकू के साथ बिलासपुर डाम के पास रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-304/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार थाना बिलासपुर जनपद रामपुर

का0 1059 गौतम कुमार थाना बिलासपुर जनपद रामपुर

का0 297 अनिल कुमार थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

थाना केमरी:- वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 13.09.2023 को थाना केमरी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त शफीक अहमद पुत्र नजीर अहमद निवासी खानपुर जदीद थाना केमरी जनपद रामपुर को उसके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री तेजपाल सिंह,

का0 1594 मनोज कुमार।